(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 495–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 27/अपील/2014–15.

लक्ष्मण पिता नारायण बंजारा
निवासी ग्राम बनबना तहसील नागदा
जिला उज्जैन

------ अपीलार्थी

विरूद्ध

1. अनुविभागीय अधिकारी नागदा
2. गैंदालाल पिता कनीराम पाटीदार
   निवासी ग्राम बनबना तहसील नागा
   जिला उज्जैन

------ प्रत्यर्थीगण

.....

श्री अजीत मिश्रा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रमेश मूणत, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22 मार्च 2016 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(3) के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी कमांक 2 गेन्दालाल ने तहसीलदार के समक्ष शिकायती आवेदन पेश किया कि उसका ग्राम बनबना में भूमि सर्वे कमांक 531 व 533 है जो निजी कृषि भूमि है। उक्त भूमि एवं मकान पर जाने वाले रास्ते पर अपीलार्थी ने ईंट डाल कर मकान निर्माण कर रहा है अतः उक्त अवरूद्ध रास्ते को खुलवाये

जाये। हल्का पटवारी ने दिनांक 21–2–13 को मय पंचनामा के रिर्पोट तहसीलदार को प्रेषित की, जिसपर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। अपीलार्थी का जबाव प्राप्त करने के उपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24–4–2013 के द्वारा अपीलार्थी का अवैध कब्जा पाये जाने से भूमि से बेदखल करने एवं 1500/– अर्थदण्ड आरोपित किया तथा पटवारी से रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये। दिनांक 1–5–13 को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त होने कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है तहसीलदार ने संहिता की धारा 248(2) के अन्तर्गत सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–6–14 को अपीलार्थी को 15 दिवस सिविल जेल भेजने के आदेश दिए। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–6–14 के विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग को प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–1–2015 के द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि अपीलार्थी को पट्टा जारी किया जाना सही पाया जिसपर अपीलार्थी का मकान बना है परन्तु उक्त पट्टे के संबंध में बिना रिकार्ड बुलाये एवं परीक्षण किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पट्टा प्रदाय किया जाना माना है परन्तु पट्टा में चर्तुसीमा का उल्लेख नहीं होने से अपीलार्थी का अतिक्रमण मानकर बेदखली का आदेश देने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने मान0 उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसमें उसे स्थगन जारी किया गया है और मकान न तोड़ने के आदेश दिये हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 2 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क में कहा कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अतिकमण के संबंध में तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार ने विधिवत पटवारी से रिपोर्ट एवं पंचनामा मंगाया जाकर कार्यवाही शुरू की तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत अपीलांट का शासकीय भूमि सर्वे कमांक 528 रकबा 0.45 हे0 पर तीन फीट की दीवार बनाकर बांस बल्ली आदि झोपड़ीनुमा मकान बनाकर अतिकमण मानकर बेदखल करने एवं अर्थदण्ड आरोपित किया। यह भी तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा शासकीय भूमि से अतिकमण नहीं हटाने के कारण तहसीलदार ने सिविल जेल की अनुशंसा हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत अपीलांट के विरूद्ध सिविल जेल के आदेश दिये हैं, जिसे अपर आयुक्त ने भी उचित माना है। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने मान0 उच्च न्यायालय में याचिका डब्ल्यू पी.क. 2810/15 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 13–5–15 को निरस्त हुई है और माननीय उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील को 30 दिवस के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। तर्क में यह भी कहा कि तीनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसके आधार पर अपीलांट का शासकीय भूमि पर अवैध अतिकमण माना है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के पृष्ठ 91 पर सरपंच ग्राम पंचायत बनबना जनपद पंचायत खाचरौद जिला उज्जैन की ओर जारी प्रमाण पत्र (पट्टा प्लाट/मकान) की छायाप्रति संलग्न है जिसमें अपीलांट की पत्नी सजनबाई को पटवारी हल्का 17 तहसील नागदा के ग्राम स्थल में 20X40 का प्लाट/भवन का दिया जाना अंकित है तथा उक्त प्रमाण पत्र पंचायत में पारित प्रस्ताव कमांक 8

दिनांक 5–11–2003 को जारी होने का लेख है। प्रकरण में संलग्न खसरा पंचसाला वर्ष 2011–12 का संलग्न है जिसमें ग्राम बनबना तहसील नागदा की भूमि सर्वे कमांक 527 रकबा 0.45 शासकीय दर्ज है। तहसील न्यायालय के अभिलेख में पृष्ठ 25 पर सचिव एवं सरपंच ग्राम पंचायत बनबना जनपद पंचायत खाचरौद के पत्र की छायाप्रति संलग्न है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चाही गयी जानकारी के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट सजनबाई पति लक्ष्मण बंजारा के नाम से ग्राम पंचायत के रिकार्ड में प्रदाय पट्टा प्लाट का उल्लेख नहीं होने एवं पंचायत में ठहराव प्रस्ताव रजिस्टर (2003) ही उपलबध नहीं होने का लेख किया है। इसी आधार पर तहसीलदार ने आवेदक को भूमि से बेदखल करने एवं बेदखली न करने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही सिविल जेल की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किया। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आवेदक के विरूद्ध 15 दिन सिविल जेल भेजने के आदेश दिया है जिसे अपर आयुक्त ने भी उचित माना है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। जहां तक विवादित भूमि के संबंध में मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13–5–2015 का प्रश्न है, मान0 उच्च न्यायालय ने आवेदक की याचिका निरस्त कर इस न्यायालय को गुण–दोषों पर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। अतः मान0 उच्च न्यायालय से भी आवेदक को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की गई।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त उज्जैन का आदेश दिनांक 30–1–2015 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वा0